



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163565

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम ज़मानत आवेदन संख्या

- 294 वर्ष 2026

चंद्रवीर उर्फ चंद्रपाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अरविंद कुमार वर्मा, महेश शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से विशेष मुकदमा संख्या 716 सन् 2025, मुकदमा अपराध संख्या 530 सन् 2019, धारा 452, 376/511, 506, 323 आई.पी.सी. तथा धारा 4 पॉक्सो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम, थाना-डिबाई, जनपद बुलंदशहर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है; इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया कि कथित घटना दिनांक 20.09.2019 को घटित होना बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.11.2019 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के अंतर्गत पारित आदेश के निर्देश पर दर्ज की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि विधिवत जांच के पश्चात दिनांक 12.01.2020 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से क्षुब्ध होकर वर्तमान मामले के सूचनादाता ने विरोध याचिका दाखिल की। आवेदक को दिनांक 10.10.2022 के आदेश द्वारा आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), न्यायालय संख्या 2, बुलंदशहर के न्यायालय द्वारा समन किया गया था, जबकि आवेदक ग्राम चकाथल, थाना अतरौली, जनपद अलीगढ़ का निवासी है; अतः उसे मामले के लंबित होने तथा संबंधित न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। गैर-जमानती वारंट जारी किया जा चुका है तथा संबंधित विद्वान न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है। आगे यह तर्क दिया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2024 सुप्रीम 1059** के मामले में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत, गैर-जमानती वारंट जारी होने तथा दं.प्र.सं. की धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के बावजूद अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में जांच पूर्ण हो चुकी है और आवेदक की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। विधिवत जांच के पश्चात जांच अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि आवेदक को झूठा फंसाया गया था, किंतु वर्तमान मामले के सूचनादाता की मनमर्जी पर उसे समन किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2026 के आदेश के माध्यम से आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी और वह संबंधित विद्वान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो रहा है। उसने संबंधित न्यायालय के समक्ष पहले ही जमानतदार प्रस्तुत कर दिए हैं और वह विचारण में भाग ले रहा है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंततः प्रस्तुत किया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी संबंधित न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पक्ष पर विवाद नहीं किया।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है तथा अभिलेखों का परिशीलन किया है।

8. आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने जांच में सहयोग नहीं किया। आवेदक की अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अमन प्रीत सिंह बनाम सी.बी.आई., (2022) 13 एस सी सी 764 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:-

“11. उपर्युक्त का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यह मजिस्ट्रेट के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जब वह धारा 170 दं.प्र.सं. के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसे निर्धारित किया गया है। संज्ञान लेने अथवा अभियुक्त का विचारण करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को आरोप-पत्र तत्काल स्वीकार करना होगा और धारा 173 दं.प्र.सं. के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह सही रूप से प्रतिपादित किया गया है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्य रूप से समन की प्रक्रिया जारी करनी चाहिए, न कि गिरफ्तारी का वारंट। यदि वह गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के विवेक का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे धारा 87 दं.प्र.सं. में परिकल्पित कारणों को अभिलिखित करना आवश्यक है कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है अथवा समन का पालन नहीं करेगा या उसे समन की विधिवत तामील का प्रमाण होने के बावजूद वह उपस्थित होने से इनकार कर चुका है। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैरा (iii) में की गई टिप्पणियां सावधानी के स्वरूप हैं।

12. जहां तक वर्तमान मामले तथा धारा 170 दं.प्र.सं. के अंतर्गत सामान्य सिद्धांतों का संबंध है, उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैरा (v) में की गई टिप्पणियां सर्वाधिक प्रासंगिक हैं, जो ऐसे अभियुक्त के संदर्भ में हैं, जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है और जिसकी जांच अवधि के दौरान अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह उचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि जांच के दौरान उसकी गिरफ्तारी न होना अथवा उसे अभिरक्षा में प्रस्तुत न किया जाना, अपने आप में, उसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी बनाने के लिए पर्याप्त है। इसका आधार संक्षेप में इस प्रकार बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से स्वतंत्र रहा है और जांच के दौरान उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, तो केवल आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के कारण अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना और उसे कारागार में निरुद्ध करना जमानत प्रदान करने के नियंत्रक सिद्धांतों के विपरीत होगा। इससे हम पूर्णतः सहमत हैं।”

10. अतः अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांतों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय में यह आवेदक को मामले में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है।

11. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त मामले में सम्मिलित आवेदक- **चंद्रवीर उर्फ चंद्रपाल** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक इस शर्त पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।



(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

12. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में लोक अभियोजक/जांच अधिकारी/प्रथम सूचनादाता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

5 अगस्त, 2026

राधिका